दां.प्रकी.(जमा.) 4115/2004

06.12.2004

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री जगमाल सिंह चौधरी,
जन अभियोजक श्री ओ.पी.राठी, उपस्थित।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी का तर्क है कि इस प्रकरण में 63 बोरो में डोडा पोश्त की बरामदगी सरकारी बंजर जमीन, जिसके आसपास कोई रहवासीय ढाणी नहीं थी न कोई व्यक्ति मौजूद था, में दिनांक 11.7.2004 को की गई है। तत्पश्चात् दिनांक 23.9.2004 को पेमाराम व जेठाराम के बयान पुलिस ने लिखे जिसमें राहुराम अभियुक्त को बोरो के पास बैठे होना बताया, इस आधार पर अभियुक्त को इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है और चार्जशीट प्रस्तुत की गई है। जेठाराम व पेमाराम के बयान ही इस अभियुक्त को अपराध से जोड़ने के लिए तफ्तीश में पाए गए थे। उनका तर्क है कि पी.ड.2 जेठाराम व पी.ड.3 पेमाराम के बयान न्यायालय में लिए जा चुके हैं और शपथ पर बयानो में उन्होंने इस अभियुक्त को बोरो के पास बैठे नहीं देखना बयान दिए हैं। दोनों गवाह पक्षद्रोही किए गए हैं और अभियोजन की मदद नहीं करते। इस प्रकार उनका तर्क है कि अभियुक्त राहुराम के वियद्ध कोई भी अपराध से जोड़ने वाली साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है, जिससे उसे दोषी करार दिया जा सके। इन परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की इस्तदुआ की गई।

योग्य जन अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया पर यह स्वीकार किया कि अभियुक्त के विरूद्ध पेमाराम और जेठाराम की ही साक्ष्य थी जो इसे अपराध से जोड़ सके और ये गवाह न्यायालय में पक्षद्रोही हुए हैं मगर चूंकि अधिक मात्रा में माल की बरामदगी की गई है, अत: अभियुक्त को जमानत पर रिहा नहीं किया जावे।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया एवं रेकर्ड का अवलोकन किया। इस प्रकरण में काफी मात्रा में 63 बोरो में डोडा पोश्त की बरामदगी खुली सरकारी बंजर जमीन से की गई थी जहां आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। दिनांक 11.7.2004 को यह बरामदगी मुखबीर की सूचना के अनुसार की गई है और उसके बाद दिनांक 23.9.2004 को पेमाराम व जेठाराम के बयान से अभियुक्त को अपराध से जोड़ने के सम्बन्ध में साक्ष्य रेकर्ड पर आई है कि इस अभियुक्त को बोरो के पास बैठे देखा गया था। मगर इन दोनों गवाहो के बयान न्यायालय में ट्रायल के दौरान लिए जा चुके हैं और पी.ड.2 जेठाराम व पी.ड.3 पेमाराम ने अभियोजन पक्ष की ताईद नहीं की और न अभियुक्त को बोरो के पास बैठे देखना बताया। प्रकरण में आई परिस्थितियों को देखते हुए बिना गुणावगुण पर राय दिए, चूंकि दोनो गवाह पक्षद्रोही हो चुके हैं और अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य नहीं देते हैं, अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद जुर्म की पुनरावृत्ति करेगा, नहीं बताया गया है, अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के मैं उचित आधार पाता हूं।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी राहुराम उर्फ राउराम पुत्र जालाराम योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके

न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जावे, उपस्थिति हेतु, बीस हजार रूपए का बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार रूपए की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार)

जी.एन.शर्मा